राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

क्रमांक :सखअ / समा / बजरी / 2019 / 274 दिनांकः– 18.10.19

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा अवैध खनन / निर्गमन / भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त की गयी खनिज बजरी की नीलामी दिनांक 13.11.2019 बुधवार को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर डाईट छात्रावास ठींगला सवाई माधोपुर परिसर में की जावेंगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व बयाना राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते है।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत मूल्य	बयाना राशि
1	खनिज बजरी	7750 टन	4650000 / –	50000 / –

नोटः– नीलामी से संबन्धित शर्तो का अवलोकन वेवसाईट mines.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है एवं खनिज बजरी के स्टॉक के संबंध में जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(डी0 एस0 मीना)
सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

क्रमांक :सखअ / समा / 2019 / 275 दिनांकः– 18-10-19

निदेशालय
जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– खनिज बजरी नीलामी की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा खनिज बजरी नीलामी के लिये प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 274 दिनांक. 18.10.2019 को नियमानुसार एक भारतीय स्तर के समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तर के समाचार पत्र(दैनिक भास्कर / राजस्थान पत्रिका) के साथ–2 किसी व्यवसायिक पत्रिका में (जिसे एन.आई.टी. मुद्रित करने में विशिष्ठता हो) न्यूनतम स्पेस में किसी भी एक अंक में डी.आई.पी.आर. दरो पर प्रकाशित कराने का श्रम करावें इस हेतु नीलामी सूचना की कुल 6 प्रति भिजवाई जा रही है।

(डी.एस. मीना)
सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– 276 - 280

1. श्रीमान निदेशक महोदय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति को विभागीय वैवसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. श्रीमान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।
3. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
4. जिला कोषाधिकारी सवाई माधोपुर।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

तहसील खंडार में भौतिक सत्यापन के बाद खनिज बजरी के शेष स्टॉक की मात्रा

क्र.सं.	जब्ती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूड / लेगीट्यूड	भौतिक सत्यापन के बाद शेष स्टॉक की मात्रा
1.	09.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'19.83'' 76°41'14.74''	300
2.	16.07.19	जयसिंहपुरा	पटवार मण्डल जयसिंहपुरा	25°19'19.40'' 76°35'56.39''	400
3.	16.07.19	बडवास	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°54'35.38'' 76°43'15.59''	400
4.	16.07.19	बडवास	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°54'30.23'' 76°43'32.13''	900
5.	16.07.19	बडौद	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत बडौद	26°58'13.21'' 76°38'30.88''	350
6.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'6.22'' 76°41'39.39''	250
7.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'12.15'' 76°41'37.59''	400
8.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'7.75'' 76°41'31.73''	300
9.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'6.21'' 76°41'30.26''	250
10.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'4.20'' 76°41'27.16''	400
11.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'9.59'' 76°41'30.19''	200
12.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'17.42'' 76°41'29.42''	150
13.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'17.29'' 76°41'32.63''	100
14.	16.07.19	अनियाला	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°56'25.32'' 76°41'37.94''	1000
15.	16.07.19	बडवास	ग्राम विकास अधिकारी गग्रम पंचायत अनियाला	25°55'48.67'' 76°42'6.08''	1500

तहसील खण्डार में खनिज बजरी का कुल स्टॉक कुल मात्रा 6900 टन

तहसील मलारना डूंगर में भौतिक सत्यापन के बाद खनिज बजरी के शेष स्टॉक की मात्रा

	जब्ती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट/लेगीट्यूट	भौतिक सत्यापन के बाद शेष स्टॉक की मात्रा
1.	19.07.19	श्यामोली	रोजगार सहायक ग्राम पंचायत साकंडा तह. मलारना डूंगर	26°14'14.86'' 76°34'18.36''	200
2.	20.07.19	भारजा गददी	ग्राम विकास अधिकारी शेषा में मौके पर सुपुर्दगी में लेने से मना कर दिया	26°15'11.51'' 76°23'12.40''	400
3.	20.07.19	भाडोती	हल्का पटवारी भाडोती तह. मलारना डूंगर	26°15'14.74'' 76°22'58.70''	150

तहसील मलारना डूंगर में खनिज बजरी का कुल स्टॉक कुल मात्रा 750 टन

तहसील चौथ का बरवाड़ा में खनिज बजरी के जब्त स्टॉकों का विवरण

	जब्ती दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट/लेगीट्यूट	खनिज की मात्रा	विवरण
4.	02.10.19	शिवाड़	हल्का पटवारी शिवाड़ तह. मलारना डूंगर	26°11'21.47'' 76°02'42.76''	100	खातेदारी भूमि होने से नियमानुसार कार्यवाही करने के संबंध में राजस्व विभाग को निवेदन किया गया है।

जिला सवाई माधोपुर में भौतिक सत्यापन के बाद खनिज बजरी के शेष स्टॉक की मात्रा 7750 टन

खनिज बजरी नीलामी की शर्ते

1. बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा

कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।

2. बोलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व बयाना राशि 50000/- रूपये एवं अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का डी.डी. सहायक खनि अभियन्ता सवाई माधोपुर के पक्ष में कार्यालय में जमा कराना होगा।
4. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का डी.डी. सहायक खनि अभियन्ता सवाई माधोपुर के पक्ष में बोली समाप्ति पर मौके पर ही जमा करवाना होगा।
5. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात 3 दिवस में विक्रय मूल्य की अन्तर राशि (75 प्रतिशत) के डी.डी. के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. संबन्धित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी, तत्पश्चात ही माल उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. अनुमानित मात्रा से अधिक माल होने पर सफल बोलीदाता को ही अवशेष माल की राशि पूर्व में जमा कराने के पश्चात् ही अवशेष माल को उठाने की अनुमति दी जावेगी। राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. बोली 10/-रूपये प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
8. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व किसी भी दिवस में स्टॉक स्थल पर जाकर किया जा सकता है।
9. जब्तशुदा बजरी "जिस स्थिति में है उसी स्थिति में" सफल बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
10. बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही(लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
11. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.डी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होगे।
12. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबन्धित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सवाई माधोपूर होगा।

13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 8 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को What's app पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को What's app पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
22. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
23. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।

(डी0 एस0 मीना)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सवाई माधोपुर